

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर ।

पत्रांक : मान्यता / 3024-26

/ 2020-21

दिनांक 04-08-2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक,

सैंट जैवियर स्कूल, टनकपुर रोड, टिगरी, खटीमा।

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उप नियम-(6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र ।

महोदय/ महोदया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार द्वारा विद्यालय को किये गये संस्तुति/निरीक्षण एवं जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20-02-2020 के आलोक में आपके विद्यालय सैंट जैवियर स्कूल, टनकपुर रोड, टिगरी, खटीमा को कक्षा 01 से 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक संचालन हेतु तीन वर्ष 01-04-2020 से 31-03-2023 तक की अवधि के लिए छात्र हित में इन प्रतिबन्धों के साथ मान्यता प्रदान की जाती है कि वे अधिकतम छः माह के भीतर मानक एवं मानदण्डों/शर्तों को पूर्ण कर लेंगे। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी -

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निः शुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता तक प्रदान करेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 में वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक के खाते का संचालन करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे:- :
एक- किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

तीन- किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

चार- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उप नियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

पांच- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

छ:- शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम के अनुच्छेद 23 की धारा-1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत जैसे सभी

Principal
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima, UK- 262308

Manager
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima, UK- 262308

शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

सात- शिक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद 24 की उप धारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्रावधानित शिक्षों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

आठ- शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम के अनुच्छेद 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा:-

एक- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

दो- कुल निर्मित क्षेत्र।

तीन- खेल के मैदान का क्षेत्र।

चार- कक्षा-कक्षों की कुल संख्या।

पांच- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष।

छ- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय।

सात- पेयजल सुविधा।

आठ- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर।

नौ- बाधा रहित पहुँच।

दस- शिक्षण अधिगत सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या -21/2017-18 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।


Principal
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima, UK- 262308


Manager
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima, UK- 262308

792/XXIV(1)2018/04/2017, दिनांक: 16 अगस्त, 2018 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं दिव्यांग छात्रों हेतु विद्यालय में समुचित व्यवस्था की जायेगी।

10. उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों / शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

134

पृष्ठांक संख्या— /XXIV-B-3/2020/01(16)2019, तददिनांक.

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (2) जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- (3) अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- (4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंहनगर।
- (5) प्रधानाचार्य, सेंट जेवियर स्कूल खटीमा उधमसिंहनगर।
- (6) गार्ड फाइल।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।


Principal
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima, UK- 262308


Manager
St. Xavier School,
Tanakpur Road, Tigri Churaha,
Amoun, Khatima. UK- 262308